

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.)

प्राथमिक डिक्री

अनवान

वादी
1. किशोर कुमार पुत्र
सौभागमल जाति जैन
निवासी गकान नम्बर
400 जयनारायण व्यास
कोल्लोनी जैसलमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 गिरधारीराम पुत्र सोनाराम 2 राणाराम 3 स्वरूप कुमार पिसरान
गोकलाराम 4 रूणोदेवी पत्नी गोकलाराम 5 छोगाराम 6 मोबताराम
7 गोपाराम 8 भंवराराम 9 हरखाराम 10 हेमाराम पिसरान सोनाराम
11 ओमप्रकाश पुत्र फौजाराम जाति माली निवासी बाड़मेर मगरा 12
हरियादेवी पत्नी नारायणराम जाति माली निवासी कुडला 13
वालीदेवी पत्नी नगराम जाति जाट निवासी बाड़मेर शहर 14
गुणेशाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी हुडों की ढाणी
तहसील बायतु 15 रोहनीदेवी पत्नी रीताराम जाति संत निवासी
हुडों की ढाणी तहसील बायतु 16 दामोदर कुमार पुत्र भूराराम जाति
जाट निवासी हुडों की ढाणी तहसील बायतु 17 कशेम खां 18
सुमारखां पिसरान उम्मेदाखां जाति मुसलमान निवासी भभूते की
ढाणी तहसील चौहटन 19 अकरमखां पुत्र अनवरखां जाति तेली
निवासी तिलक नगर 20 कविता चौधरी पत्नी किशनाराम जाति
जाट निवासी बायतु चिमनजी तहसील बायतु 21 पारुदेवी पत्नी
भगवानाराम जाति जाट निवासी बायतु चिमनजी तहसील बायतु 22
अगराराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी रेडाना तहसील गडारा
रोड 23 चुनीदेवी पत्नी पोकरराम जाति जाट निवासी सुथारों का
कुआ हाथीतला तहसील बाड़मेर 24 धापूदेवी पत्नी सताराम जाति
जाट निवासी रामनगर बाड़मेर 25 अदरूपखां पुत्र जिम्मा खां जाति
मुसलमान निवासी रमजान की गफन तहसील चौहटन 26 शाखा
प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बाड़मेर 27 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
28 ओमप्रकाश 29 जोगेन्द्रपालसिंह 30 संजीव पिसरान खेताराम
जाति जाट निवासी गांधी नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

दावा बाबत 53 व 188 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 59/2020

निर्णय दिनांक :- 18/10/23


वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 20, 21, 23, 28 से 30 व वकील प्रतिवादी संख्या 26 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/10/23 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा बाड़मेर मगरा पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 205 रकबा 51.18 बीघा व खसरा संख्या 207 रकबा 20.05 बीघा कुल रकबा 72.03 बीघा भूमि में वादी का 60/1443 हिस्सा अर्थात् 03.00 बीघा भूमि बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। कमीश्नर शुल्क रु. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादीनी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

यह आज तारीख 18/10/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(समदरसिंह भाटी)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	